124

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक- 312-दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-10-2000 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 222/निग./93-94

.....

रामेश्वर प्रसाद तनय शिवकरणलाल शुक्ल

निवासी-चाकधाट तहसील त्योंथर, जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अपीलार्थी

विरूद्ध

1- गीतादेवी पत्नी रामेश कुमार
निवासी- मददेपुर तहसील हुजूर
जिला-रीवा(म.प्र.)

2- कौशल किशोर तनय लालता प्रसाद
निवासी- सिंगरवार तहसील त्योंथर,
जिला-रीवा (म.प्र.)

3- उमेश कुमार तनय बृजकिशोर दुबे
निवासी-मददेपुर तहसील हुजूर
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------प्रत्यर्थीगण

.....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थी

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 20/4/2018को पारित )

यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 19-07-89, जिसके द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त चाक तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/1987-88 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14-06-89 को स्थिर रखा है । उक्त आदेश में आवेदक रामेश्वर प्रसाद आवेदन पर उसे आवश्यक हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में प्रमाण आपत्ति पत्र के साथ ही आपत्तिकर्ता के रूप में संयोजन करने का अवसर दिया है। अतिरिक्त तहसीलदार के उक्त आदेश को कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत पेश की गई जो आदेश दिनांक 28-10-2000 से नामंजूर की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये ।

4/ आवेदक के विद्वाने अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिरिक्त तहसीलदार ने आवेदक को स्वत्व के संबंध में प्रमाण पत्र पेश करने पर ही उसे हितबद्ध पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया है तथा स्वत्व के संबंध में दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया । अतिरिक्त् तहसीलदार द्वारा आवेदक स्वत्व के संबंध में विलेख प्रस्तुत करने एवं विधि के अनुसार आवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटी प्रकट नहीं होती । अतिरिक्त तहसीलदार के वैधानिक आदेश की पुष्टि कलेक्टर एवं आयुक्त भी की गई है। आवेदक चाहे तो विचारण न्यायालय में अपने स्वत्व के संबंध में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करन आपत्तिकर्ता के रूप में संयोजित हो सकता है। दर्शित परिस्थितियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो

में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता तथा निगरानी आधारहीन प्रतीत होती है।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है ।

**(एस.एस. अली)**
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,